[2022] 3 S.C.R. 1099

अजगर बरीद (डी) विधिक प्रतिनिधि द्वार

बनाम

मज़ाम्बी @ प्यारेमबी और अन्य

(सिविल अपील सं. 249 / 2010)

21 फरवरी, 2022

[एल. नागेश्वर राव और बी. आर. गवाई, न्यायमूर्तिगण]

अपील - द्वितीय अपील - प्रतिभाजन के लिए मुकदमा - प्रतिवादी-अपीलार्थी का आपत्ति कि जिसे मुख्य न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया और जिन्होंने इसे अपील द्वारा चुनौती नहीं दी, वादीनंबर 4 से 8, दूसरी अपील में राहत प्राप्त करने का अधिकार नहीं है - निष्कर्ष: प्रतिभाजन के मुकदमे में, वादीऔर प्रतिवादी की स्थिति बदल सकती है - प्रत्येक पक्ष दूसरे पक्षों के साथ वही स्थिति अपनाता है - जब तक मुकदमा चल रहा है, प्रतिवादी न्यायालय से मांग सकता है कि वह उसे वादी के रूप में बदल दे और वादी मांग सकता है कि वह प्रतिवादी के रूप में बदल दिया जाए - इस दृष्टिकोण में, वादीनंबर 4 से 8 को दूसरी अपील में राहत प्राप्त नहीं होने के आधार पर आपत्ति बनाने का तर्क, सही नहीं है - मुख्य न्यायालय सभी प्रतिवादियों के खिलाफ और सभी वादीके पक्ष में अनुकूल आदेश दे सकता था - केवल इसलिए कि मुख्य न्यायालय ने वादीनंबर 4 से 8 के पक्ष में राहत प्रदान नहीं की थी, उनके पक्ष में उच्च न्यायालय द्वारा उनके दावे को स्वीकार करने में रुकावट नहीं डालता।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 - प्रतिभाजन के लिए मुकदमे से उत्थित द्वितीय अपील - उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप - उपयुक्तता - निष्कर्ष: तथ्यों पर, पहली अपीलीय अदालत ने मुख्य न्यायालय द्वारा दर्ज की गई निष्कर्षों को उलट दिया था जो सबूत की सही मूल्यांकन पर आधारित थे - उच्च न्यायालय ने ठोस और तर्कसंगत कारण दिए कि पहली अपीलीय अदालत के निष्कर्षों में हस्तक्षेप क्यों जरूरी था - साथ ही, पहली अपीलीय अदालत ने उस सबूत को ध्यान में नहीं लिया जिस पर मुख्य न्यायालय ने अपनी निष्कर्ष दर्ज किए थे - पहली अपीलीय अदालत द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष अनुमान और परिसंख्यान पर आधारित थे - इस प्रकार, पहली अपीलीय अदालत का विरोधाभासपूर्ण दृष्टिकोण निष्कर्ष पर पहुँचने में

एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न को उत्पन्न करता है, जिससे उच्च न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप करने की सत्यापित करने की अनुमति मिलती है।

भगवान स्वरूप और अन्य बनाम मूलचंद और अन्य **(1983) 2 SCC 132**; *डॉ. पी. नल्ला थम्पी थेरा बनाम बी.एल. शंकर और अन्य* **1984 (सप्ली) SCC 631** *:* **[1984] SCR 687 और** *चंद्रमोहन रामचंद्र पाटिल और अन्य बनाम बापू कोयप्पा पाटिल (मृत) द्वारा LRs और* **अन्य (2003) 3 SCC 552 : [2003] 2 SCR 203 - पर निर्भर किया गया।**

नगरपालिका समिति, होशियारपुर बनाम पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड और अन्य **(2010) 13 SCC 216 : [2010] 13 SCR 658;** *इल्लोथ वलप्पिल अंबुन्ही (डी) द्वारा LRs. बनाम कुंहंबू करनवन* **2019 SCC OnLine SC 1336**; *के.एन. नागराजप्पा और अन्य बनाम ह. नरसिम्हा रेड्डी* **2021 SCC OnLine SC 694 - संदर्भित किया गया।**

<u>मामला कानून संदर्भ</u>

(1983) 2 SCC	**पैरा 12**	**पर निर्भर किया गया**
[1984] SCR 687	**पैरा 12**	**पर निर्भर किया गया**
[2003] 2 SCR 203	**पैरा 13**	**पर निर्भर किया गया**
[2010] 13 SCR 658	**पैरा 16**	**को संदर्भित किया गया**

सिविल अपीलीय अधिकार: सिविल अपील संख्या 249 का 2010।

कर्नाटक के उच्च न्यायालय, बेंगलुरु में 17.03.2009 की निर्णय और आदेश से, नियमित द्वितीय अपील संख्या 160 / 1995।

नरेश कौशिक, श्रीमती ललिता कौशिक, प्रतिवादियों के लिए वकील।

गिरीश अनंतमूर्ति, श्रीमती वैजयंति गिरीश, प्रतियुत्तियों के लिए वकील।

न्यायालय का निर्णय दिया गया था

बी. आर. गवई, न्यायमूर्ति

1 .इस अपील में 17 मार्च 2009 को कर्नाटक के उच्च न्यायालय, बेंगलुरु द्वारा नियमित द्वितीय अपील संख्या 160 का 1995 में पास किए गए निर्णय और आदेश की चुनौती दी गई है, जिससे प्रतियुत्तियों द्वारा दायर की गई अपील को स्वीकार किया गया है।

2. वर्तमान अपील दायर करने के पीछे की संक्षिप्त घटनाएँ निम्नलिखित हैं:

वादी नं. 1 से 8 द्वारा प्रतिभाजन के लिए ओ.एस. सं. 388/77 नामक मुकदमा प्रल. मुंशिफ़ के पास कोलार में (जिसे आगे "मुकदमा अदालत" के रूप में संदर्भित किया गया है) दायर किया गया, मुकदमा संपत्तियों के पृथक अधिकार के लिए। निर्णय और फ़ैसला दिनांक 11 सितंबर 1987 के माध्यम से, उक्त मुकदमा को आंशिक रूप से मान्यता दी गई, घोषित करते हुए कि वादी नं. 2 को 7/24वें हिस्से का और वादी नं.3 को मुकदमा अनुसूची संपत्तियों में 1/8वें हिस्से का हक है। इसे और भी ठहराया गया था कि पैंटिफ़ को मुकदमा मद्दा नं. 7 से 9 और 22 में किसी भी हिस्से का हक नहीं है। उक्त निर्णय और फ़ैसले के माध्यम से, यहाँ के अपीली-प्रतिवादी नं.1 को मुकदमा अनुसूची संपत्तियों पर उसके द्वारा की गई राशि और व्यय के संबंध में खाता देने के लिए कहा गया। इसे और भी ठहराया गया कि यहाँ के अपीली, जो प्रतिवादी नं.१ था, प्रतिवादी नं.2 और 3 से वादी नं.2 और 3 को उनके संबंधित हिस्सों के अनुसार संपत्तियों से प्राप्त लाभ विभाजित करने के लिए उत्तराधिकारी है।

3. मुकदमा अदालत के उक्त निर्णय और फ़ैसले से असंतुष्ट होकर, प्रतिवादी-अपीली नं.1 ने विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से प्रल. सिविल न्यायाधीश के पास कोलार में नियमित अपील सं. 60 का 1988 में दायर किया (जिसे आगे "प्रथम अपीली अदालत" के रूप में संदर्भित किया जाता है)। उक्त अपील को निर्णय और आदेश दिनांक 23 नवंबर 1994 के माध्यम से स्वीकार किया गया था, मुकदमा अदालत द्वारा पास किए गए निर्णय और फ़ैसले दिनांक 11 सितंबर 1987 को अस्वीकार करते हुए।

4. प्रथम अपीली अदालत द्वारा पास किए गए निर्णय और आदेश को कर्नाटक उच्च अदालत में नियमित द्वितीय अपील संख्या 160 का 1994 में दायर करके चुनौती दी गई। उच्च अदालत ने अपने निर्णय दिनांक 17 मार्च 1998 में, प्रथम अपीली अदालत द्वारा पास किए गए निर्णय और आदेश दिनांक 23 नवंबर 1994 को अस्वीकार करते हुए, मुकदमा अदालत द्वारा पास किए गए निर्णय और फ़ैसले दिनांक 11 सितंबर 1987 को पुनः स्थापित किया। उच्च अदालत द्वारा पास किए गए निर्णय को दिनांक 1998 मार्च 1998 में, इस अदालत में सिविल अपील संख्या 64787 का 1998 में दायर करके चुनौती दी गई। इस अदालत ने अपने आदेश दिनांक 17 अगस्त 2004 में पाया कि उच्च अदालत

ने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 100 के तहत आवश्यक कानूनी प्रश्नों को तैयार किए बिना अपील को स्वीकार किया था और उच्च अदालत द्वारा पास किए गए निर्णय दिनांक 18 मार्च 1998 को अस्वीकार किया और मामले को उच्च अदालत के पास पुनः प्रेषित किया ताकि वह कानून के अनुसार ताजा निर्णय ले सके।

5. पुनः प्रेषित होने पर, द्वितीय अपील को पुनः सुना गया और उच्च अदालत ने निम्नलिखित कानूनी प्रश्न तैयार किए:

(1) क्या प्रथम और दूसरे प्रतिवादियों को मुकदमा अनुसूची संपत्तियों में हिस्सा हासिल है, विशेष रूप से जब रेहमान बारिद - जिनके माध्यम से प्रथम और दूसरे प्रतिवादी विभाजन का दावा करते हैं - उनके पिता - मोहियुद्दीन पाशा - प्रस्तावित से पूर्व मर चुके हैं?

(2) क्या पहली अपीली अदालत ने प्रतिवादियों 3 से 8 के विभाजन और पृथक अधिकार के मामले को नकारा है, खासकर जब प्रतिवादियों 4 से 8 की पितृत्व को प्रत्यक्ष करने वाले दस्तावेज़ Exs.P-1 से P-7 को मानते हुए?

(3) क्या पहली अपीली अदालत प्रतिवादी नंबर 3 की मोहियुद्दीन पाशा के साथ विवाह का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने की भूमिका पर प्रतिवादी 3 से 8 द्वारा दायर किए गए मुकदमे को खारिज करने में सही है?

(4) क्या पहली पत्नी नूरबी के पक्ष में मोहियुद्दीन पाशा द्वारा किए गए मेहर दस्तावेज़ ई एक्स.डी-1 में पाए गए संपत्तियों को वर्तमान मुकदमे के पक्षकारों के बीच विभाजित किया जाना चाहिए?

6. उपरोक्त कानूनी प्रश्नों के जवाब देने के बाद, उच्च अदालत ने विवादित निर्णय में, तय किया कि सभी मुकदमा अनुसूची संपत्तियों को आजगार बारिद अर्थात प्रथम प्रतिवादी और प्रतिवादी संख्या 3 से 8 के बीच में विभाजित किया जाना चाहिए। उच्च अदालत ने यह भी तय किया कि प्रतिवादी संख्या 1 और 2 को मुकदमा अनुसूची संपत्तियों में किसी भी हिस्से का अधिकार नहीं है क्योंकि रेहमान बारिद, प्रतिवादी संख्या 1 का पति और प्रतिवादी संख्या २ के पिता, प्रस्तावित अर्थात मोहियुद्दीन पाशा से पहले मर चुके थे। जहां तक पार्टियों के हिस्से का संबंध है, उच्च अदालत ने तय किया कि संपत्तियों को मोहियुद्दीन पाशा के कानूनी उत्तराधिकारियों के बीच निम्नलिखित अनुपात में विभाजित किया जाना चाहिए।

1. प्रतिवादी संख्या 3- मजाम्बी @ प्यारेम्बी को 1/ 8हिस्सा है।

2. प्रतिवादी संख्या 1- आजगार बारिद को 7/36 हिस्सा है।

3. प्रतिवादी संख्या 4- सैयद रेहमान बारिद @ सबुलाल को 7/36 हिस्सा है।

4. प्रतिवादी संख्या 7- रहीमान बारिद @ इकबाल पाशा को 7/36 हिस्सा है।

5. प्रतिवादी संख्या 5- शकीला बेगम को 7/72 हिस्सा है।

6. प्रतिवादी संख्या 6- जमीला बेगम को 7/72 हिस्सा है।

7. प्रतिवादी संख्या 7- अखिला बेगम को 7/72 हिस्सा है।

7. इससे असंतुष्ट होकर, प्रतिवादी संख्या 1- आजगार बारिद द्वारा, एल.आर. के माध्यम से वर्तमान अपील दायर की गई है।

8. हमने श्री नरेश कौशिक, प्रतिवादी संख्या १ की ओर से उपस्थित हो रहे वकील को और श्री गिरीश आनंदमूर्ति, प्रतिवाद-मुद्दा पक्ष के ओर से उपस्थित हो रहे वकील को सुना।

9. श्री कौशिक ने प्रस्तुत किया कि मुख्य न्यायालय ने केवल प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के पक्ष में मुद्दा पास किया था। इस प्रकार, वास्तव में, मुख्य न्यायालय ने तय किया कि प्रतिवादी संख्या 4 से 7 को मोहियुद्दीन पाशा की मुद्दा अनुसूची संपत्ति में किसी भी हिस्से का अधिकार नहीं है। मुख्य न्यायालय के उस निर्णय और हुक्म को प्रतिवादी संख्या 4 से 7 द्वारा चुनौती नहीं दी गई थी। उसे केवल यहाँ के प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा चुनौती दी गई थी। इसलिए प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 4 से 7 की तरफ से दूसरी अपील बिल्कुल भी योग्य नहीं थी। इसलिए उसने प्रस्तुत किया कि, केवल इस संक्षिप्त आधार पर ही, इस अपील को स्वीकार किया जाना चाहिए।

10. श्री कौशिक ने आगे प्रस्तुत किया कि हालांकि इस अदालत द्वारा पुनर्निर्देश पर, उच्च न्यायालय ने कानून के प्रश्नों को ढांचा दिया, वे सभी कहे गए प्रश्न साक्ष्य की मूल्यांकन से संबंधित होने के रूप में कानून के प्रश्न के रूप में विचारित नहीं किए जा सकते। इसलिए उसने प्रस्तुत किया कि इस अपील को स्वीकार किया जाना चाहिए और पहली अपीलीय अदालत द्वारा पारित सु-तर्कित निर्णय और आदेश को बनाए रखना चाहिए।

11. विपरीत में, श्री आनंदमूर्ति ने प्रस्तुत किया कि मुख्य न्यायालय ने सही तरीके से साक्ष्य को मूल्यांकित किया था। हालांकि, पहली अपीलीय अदालत ने उसे अनुमान और परिकल्पना की आधार पर उलट दिया। उच्च न्यायालय ने इसलिए सही तरीके से इसमें हस्तक्षेप किया है जब पहली अपीलीय अदालत के निर्णय को उलट दिया। उसने आगे प्रस्तुत किया कि एक विभाजन मुकदमे में, सभी पक्ष समान पायदान पर खड़े होते हैं और प्रत्येक पक्ष एक प्रतिवादी के साथ-साथ एक प्रतिवादी भी है।

12. हम पहले प्रतिवादी के आपत्ति से निपटेंगे कि चूंकि प्रतिवादी संख्या 4 से 8 का दावा मुख्य न्यायालय द्वारा खारिज किया गया था और जिन्होंने अपील के माध्यम से इसे चुनौती नहीं दी थी, वे दूसरी अपील में राहत के अधिकारी नहीं हैं। इस अदालत ने ***भगवान स्वरूप और अन्य बनाम मूल चंद और अन्य[1] और डॉ पी. नल्ला थम्पी थेरा बनाम बी.एल. शंकर और अन्य*** [2] के मामलों में तय किया है कि विभाजन के लिए एक मुकदमे में, प्रतिवादी और प्रतिवादी की स्थिति बदल सकती है। प्रत्येक पक्ष अन्य पक्षों के साथ एक ही स्थिति अपनाता है। इसे आगे यह भी कहा गया है कि जब तक मुकदमा लंबित है, एक प्रतिवादी अदालत से यह मांग सकता है कि उसे एक प्रतिवादी के रूप में बदल दिया जाए और प्रतिवादी यह मांग सकता है कि वह प्रतिवादी के रूप में बदल दिया जाए।

13. इस अदालत ने ***चंद्रमोहन रामचंद्र पाटिल और अन्य बनाम बापू कोयप्पा पाटिल (स्वर्गीय) के माध्यम से एलआर और अन्य*** [3] में मामले में ऐसा तय किया है:

> "**14**. संहिता की आदेश 41 नियम 4 से अपील में अदालत को एक या कुछ मुद्दाकर्ताओं की पहल पर फैसले को उलटाने की क्षमता प्रदान की जाती है और यह ऐसा भी नहीं अपील करने वाले मुद्दाकर्ताओं के पक्ष में कर सकता है। एक आवश्यक परिणाम के रूप में ऐसा फैसले का उलटाव प्रतिवादियों के विपरीत नहीं अपील करने वाले मुद्दाकर्ताओं के विपरीत हो सकता है। आदेश 41 नियम 4 को आदेश 41 नियम 33 के साथ पढ़ा जाना चाहिए। आदेश 41 नियम 33 अपीलीय अदालत को पक्षियों के बीच पूर्ण न्याय करने की शक्ति प्रदान करता है, इस प्रकार का आदेश या फैसला पारित करने के लिए जो पास होना चाहिए था या बना होना चाहिए था हालांकि नहीं सभी पक्ष द्वारा प्रभावित फैसले ने अपील की थी।"
>
> **15**. हमारी राय में, अधिकृत न्यायालय धारा 41 नियम 4 के साथ धारा 41 नियम 33 को लागू करके अपील न करने वाले प्रतिवादियों को भी राहत प्रदान कर सकता था और सभी प्रतिवादियों के खिलाफ और सभी मुद्दा पर्व प्रतिवादियों के पक्ष में अनुकूल आदेश पास कर सकता था। ऐसी स्थिति में, प्रतिवादियों की ओर से यह तर्क देना संभव

नहीं है कि मुद्दा पर्व न्यायालय द्वारा पास की गई वह फैसला अब अपील न करने वाले प्रतिवादियों और प्रतिवादियों के बीच अंतिम हो गई थी।

14. इस मामले के दृष्टिकोण से, हम पाते हैं कि मुद्दाकर्ता की तरफ से उठाए गए तर्क को लेकर मुद्दाकर्ता नं 4 से 8 तक को दूसरी अपील में राहत नहीं मिलने का, क्योंकि उन्होंने पहले अपीलीय अदालत के सामने निचली अदालत के निर्णय और फैसले को चुनौती नहीं दी, यह साझा नहीं किया जा सकता। जैसा कि इस अदालत ने ***चंद्रमोहन रामचंद्र पाटिल (उपरोक्त)*** मामले में तय किया, निचली अदालत गैर-अपील करने वाले मुद्दाकर्ताओं को भी राहत प्रदान कर सकती थी और सभी प्रतिवादियों के खिलाफ और सभी मुद्दाकर्ताओं के पक्ष में एक प्रतिकूल आदेश जारी कर सकती थी। केवल इसलिए कि निचली अदालत ने मुद्दाकर्ता नं.४ से ८ के पक्ष में राहत प्रदान नहीं की थी, इसका मतलब यह नहीं है कि उच्च अदालत उनके दावे को स्वीकार नहीं कर सकती।

15. इससे हमें अपीलकर्ता के दूसरे तर्क की ओर ले जाया जाता है। उससे यह तर्क किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने दूसरी अपील में कानून के प्रश्नों का चयन किया है, जो वास्तव में कानून के प्रश्न नहीं हैं बल्कि तथ्य के प्रश्न हैं।

16. इस संदर्भ में, इस अदालत के मामले ***में नगरपालिका समिति, होशियारपुर बनाम पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड और अन्य*** के निम्नलिखित टिप्पणियों का संदर्भ लेना महत्वपूर्ण होगा:

> **27**. दूसरी अपील में प्रतिस्थापन पर कोई प्रतिबंध नहीं है, यहां तक कि एक तथ्य के प्रश्न पर भी, यदि अदालत संतुष्ट होती है कि निचली अदालतों द्वारा दर्ज तथ्यों की पायिंगें संबंधित साक्ष्य की अविचारना या मामले की एक गलत दृष्टिकोण को दिखा कर दूषित हो जाती हैं। यानी कि तथ्यों की पायिंगें विरुद्ध पाई जाती हैं। लेकिन उच्च अदालत तथ्यों की समान पायिंगों में सामान्य और सामान्य तरीके से हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, निचली अदालतों की स्थल पर अपनी विषयीकृत संतोष को प्रतिस्थापित करके। (देखें जगदीश सिंह बनाम नत्थू सिंह [(1992) 1 SCC 647 : एए आई आर 1992 SC 1604]; कर्नाटक वक्फ बोर्ड बनाम अंजुमन-ई-इस्माइल मदरिस-उन-निस्वान [(1999) 6 SCC 343 : एए आई आर 1999 SC 3067] और दिनेश कुमार बनाम युसुफ अली [(2010) 12 SCC 740 : एए आई आर 2010 SC 2679]।)

28. यदि किसी तथ्य पर निष्कर्ष पहुँचाया जाता है जिसमें संबंधित सामग्री को नजरअंदाज किया जाता है या असंबंधित सामग्री को ध्यान में लेकर या यदि ऐसा निष्कर्ष है `जो तर्क को इतना अवशेषित कर देता है कि उसमें तर्कविरुद्धता की दोष होता है जिससे वह विकृत हो जाता है, तो ऐसा निष्कर्ष कानून की नजर में दोषपूर्ण माना जाता है। अगर न्यायालय की निष्कर्ष पर कोई प्रमाण नहीं है या प्रमाण जो पूरी तरह अविश्वसनीय है या प्रमाण जिसमें प्रक्रियागत अनियमितता का दोष है या निष्कर्ष ऐसे हैं जो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं पहुँचा होता, तो निष्कर्ष विकृत कहलाते हैं। आगे यदि निष्कर्ष न्यायालय के आपसे दीक्षित हैं या परिकल्पना और अनुमान पर आधारित हैं, तो निर्णय में मन का अनुप्रयोग होने की अतिरिक्त दुर्बलता होती है और इस प्रकार, वह दोषी हो जाता है। (*देखें भारता माथा बनाम आर। विजय रेंगनाथन* [(2010) 11 एस सी सी 483 : एए आई आर 2010 एससी 2685])"

17. इस अदालत ने ***इल्लोथ वालप्पिल अंबुन्ही (डी) द्वारा एलआर्स. बनाम कुंहंबू करनावन*** में, इस प्रकार टिप्पणी की है:

"14. अब यह अच्छी तरह से स्थिर है कि एक तथ्यात्मक निष्कर्ष में पागलपन पहुँचाने पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न होता है, जिससे सीपीसी की धारा 100 के तहत उच्च अदालत का हस्तक्षेप आकर्षित होता है।"

18. हाल ही में, इस अदालत ने ***के. एन. नागरजप्पा और अन्य बनाम एच. नरसिंह रेड्डी*** में, जिसमें हम में से एक (एल. एन. राव, जे.) पार्टी थे, इस प्रकार टिप्पणी की है:

17. हाल ही में इस न्यायालय के एक फैसले में, *नारायण सीतारामजी बडवैक (मृत) एलआरएस के माध्यम से व. बिसाराम 2021* एससीसी ऑनलाइन एससी 319, इस न्यायालय ने निम्नलिखित तरीके से टिप्पणी की, आईपीसी की धारा 103 के संदर्भ में उच्च न्यायालयों की योग्यता को तथ्यात्मक मुद्दों को मूल्यांकन करने के संदर्भ में:

"11. *इस धारा का सादा अवलोकन स्पष्ट रूप से सूचित करता है कि यह उच्च न्यायालय को तथ्य का मुद्दा तय करने के लिए प्रावधान करता है, यदि इससे पहले इस पर पर्याप्त प्रमाण पत्र हो, दो परिस्थितियों में। पहला, जब अपील के निपटान के लिए आवश्यक मुद्दा निम्न अपीली न्यायालय द्वारा या दोनों निचले न्यायालयों द्वारा तय नहीं किया गया हो। और दूसरा, जब तथ्य का मुद्दा गलत तरीके से निचले न्यायालय (न्यायालयों) द्वारा सिविल प्रक्रिया*

संहिता की धारा 100 के तहत कानूनी प्रश्न पर निर्णय के कारण तय किया जाता है।"

18. इस अदालत की राय में, वर्तमान मामले में, उच्च अदालत ने मजबूत और समझदार कारण दर्ज किए क्यों पहली अपीलीय अदालत के निर्णय में हस्तक्षेप की जरूरत थी। ये पूरी तरह से पक्षों द्वारा रिकॉर्ड पर प्रस्तुत साक्ष्य पर आधारित थे। पहली अपीलीय अदालत द्वारा साक्ष्य की मूल्यांकन की गई थी इस आधार पर कि यह महत्वपूर्ण तथ्यों को नजरअंदाज किया था, जैसे की मुख्य अदालत के सामने प्रस्तुत दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य की मूल्यांकन, कि दस्तावेज़. डी-3, का पालन किया जा रहा था, इसे इंकार किया गया था....."

19. पक्षकारों ने मोहियुद्दीन पाशा के माध्यम से दावा किया है। प्रतिवादियों के अनुसार, मोहियुद्दीन पाशा ने पहले नूरबी से शादी की थी, जो 1944 में मर गई थीं। इस शादी से दो पुत्र जन्मे थे जिनका नाम रहमान बरीद और अजगर बरीद-अपीलकर्ता (प्रतिवादी संख्या 1) था। रहमान बरीद ने रहमतुन्निसा-प्रतिवादी संख्या 1 से शादी की थी। इस शादी से नूरजहाँ-प्रतिवादी संख्या 2 का जन्म हुआ। रहमान बरीद 1945 में मर गए थे, अर्थात् मोहियुद्दीन पाशा से पहले, जो 1964 में मरे थे।

20. प्रतिवादियों के अनुसार,1944 में नूरबी की मौत के बाद, मोहियुद्दीन पाशा ने मजंबी @ प्यारेम्बी-प्रतिवादी संख्या 3 से शादी की। इस शादी से पाँच बच्चे जन्मे, जिनके नाम सैयद रहमान बरीद @ सबुलाल-प्रतिवादी संख्या 4, शकीला बेगम-प्रतिवादी संख्या 5, ज़ामिला बेगम-प्रतिवादी संख्या 6, अखिला बेगम-प्रतिवादी संख्या 8 और रहीमान बरीद @ इकबाल पाशा-प्रतिवादी संख्या 8, हैं।

21. प्रतिवादी-प्रतिवादी संख्या 1 ने इस बात का विरोध नहीं किया कि रहमान बरीद उसके भाई थे। हालांकि, उन्होंने तर्क किया कि प्रतिवादी संख्या 1 और 2 अर्थात रहमान बरीद की पत्नी और बेटी, मुद्दा अनुसूची संपत्तियों में किसी हिस्सेदारी के अधिकारी नहीं थे क्योंकि रहमान बरीद की मृत्यु 1944 में हुई थी अर्थात मोहियुद्दीन पाशा की मृत्यु 1964 में हुई थी।

22. प्रतिवादी-प्रतिवादी संख्या 1 ने विशेष रूप से इनकार किया है कि मजंबी @ प्यारेम्बी-प्रतिवादी संख्या 3 का मोहियुद्दीन पाशा से विवाह हुआ था और प्रतिवादी संख्या 4 से 8 मोहियुद्दीन पाशा के बच्चे थे।

23. प्रतिवादी-प्रतिवादी संख्या 1 ने आगे तर्क किया कि मोहियुद्दीन पाशा ने अपनी पहली पत्नी नूरबी के पक्ष में एक मेहर प्रत्यय पत्र तैयार किया था, जिसे 30 जुलाई 1936 को पंजीकृत किया गया था, और इस प्रकार, कहा जा सकता है कि उक्त संपत्तियाँ मोहियुद्दीन पाशा की संपत्तियां नहीं रहीं।

24. प्रायोगिक अदालत ने साक्ष्य की आधार पर विशेष निष्कर्ष पर पहुंचाया कि अपनी पहली पत्नी नूरबी की मौत के बाद, मोहियुद्दीन पाशा ने मज़ंबी @ प्यारेम्बी-मुद्दा आरोपी संख्या ३ से शादी की और मुद्दा आरोपी संख्या 4 से 8 उक्त विवाह से पैदा हुए थे। ऐसा निष्कर्ष पार करते हुए प्रायोगिक अदालत ने मौखिक और प्रलेखिक साक्ष्य पर आधारित किया। प्रायोगिक अदालत ने आगे यह निष्कर्ष पार किया कि एक पूर्व विभाजन मुद्दा, अर्थात ओ. एस. संख्या .514/1961 में पारित निर्णय से यह स्पष्ट था कि मोहियुद्दीन पाशा और प्रतिवादी-प्रतिवादी संख्या 1 ने ओ. एस. संख्या.514/1961 में विशेष रूप से यह तर्क दिया था कि उक्त मेहर प्रत्यय पत्र नाममात्र का था और इस पर कार्रवाई नहीं की गई थी। इस मुद्दे में यह भी तर्क दिया गया था कि संपत्तियाँ कभी पहली पत्नी नूरबी को सौंपी नहीं गई थीं और इसे पहले पुत्र रहमान बारिद को हिस्सा नहीं देने के लिए तैयार किया गया था।

25. प्रायोगिक अदालत के ये निष्कर्ष पहली अपीलीय अदालत द्वारा उलट दिए गए। पहली अपीलीय अदालत ने तय किया कि मुद्दा आरोपी संख्या 3 ने साबित नहीं किया कि उसने मोहियुद्दीन पाशा से शादी की थी, क्योंकि उसने इसका समर्थन करने के लिए किसी प्रलेखिक साक्ष्य को प्रस्तुत नहीं किया। इसने आगे तय किया कि मुद्दा आरोपी संख्या 4 से 8 ने साबित नहीं किया कि वे स्वर्गीय मोहियुद्दीन पाशा के बच्चे थे। यह तय किया गया कि ना ही मुद्दा आरोपी संख्या 3 और ना ही मुद्दा आरोपी संख्या 4 से 8 को मुद्दा अनुसूची संपत्ति में कोई हिस्सा मिलने का अधिकार है। जबतक मुद्दा आरोपी संख्या 1 और 2 की बात हो, पहली अपीलीय अदालत ने तय किया कि चूंकि वे रहमान बारिद के माध्यम से दावा कर रहे थे, जो 1945 में मर गए थे, अर्थात् मोहियुद्दीन पाशा से पहले, जो 1964 में मरे थे, उन्हें भी मुद्दा अनुसूची संपत्ति में कोई हिस्सा मिलने का अधिकार नहीं है।

26. मोहियुद्दीन पाशा से मज़ंबी @ प्यारेम्बी-मुद्दा आरोपी संख्या ३ की शादी नहीं हुई थी, इस पहली अपीलीय अदालत के निष्कर्ष को गलत मानते हुए, उच्च न्यायालय ने मुख्य रूप से मौखिक और प्रलेखिक साक्ष्य पर आधारित किया है।

27. सैयद अहमद अली-पी डब्लू-1, जो साक्ष्य देने के समय 75 वर्षीय थे, वे मोहियुद्दीन पाशा की पहली पत्नी नूरबी के भाई थे। इस प्रकार, वह यहां के प्रतिवादी-आरोपी संख्या 1 के मामा थे। उसने स्पष्ट और प्रतिष्ठित रूप से बयान किया कि मोहियुद्दीन पाशा की दो पत्नियां थीं अर्थात् नूरबी और मज़ंबी @ प्यारेम्बी। उसने आगे बयान किया कि उसकी बहन नूरबी की मौत के बाद, मोहियुद्दीन पाशा ने मज़ंबी @ प्यारेम्बी को अपनी दूसरी पत्नी के रूप में लिया। उसने यह भी विशेष रूप से बयान किया कि वह मज़ंबी @ प्यारेम्बी-मुद्दा आरोपी संख्या 3 की मोहियुद्दीन पाशा के साथ शादी में उपस्थित था। उच्च न्यायालय ने पाया कि उपरांत गहरी पूछताछ में भी, प्रमाण पत्र पर पी डब्लू-1 के साक्ष्य को नकारा जाने वाला कुछ भी नहीं आया। यह आगे पाया गया कि पी डब्लू-1 के साक्ष्य को नबी साब-पी डब्लू-2 द्वारा समर्थन

मिला, जो भी एक स्वतंत्र साक्षी था। अप्पेना-पी डब्लू-3, जो भी एक स्वतंत्र साक्षी था, उसने मुद्दाविरोधियों के मामले का समर्थन किया।

28. उच्च न्यायालय ने पाया कि साक्ष्य के बड़े प्रमाण पत्र जिसमें मुद्दा आरोपी संख्या 4 से 8 के जन्म प्रमाण पत्र, ठड़ीगोल सरकारी उच्च प्राथमिक स्कूल और ठड़ीगोल उच्च प्राथमिक लड़कों स्कूल द्वारा जारी की गई स्थानांतरण प्रमाण पत्र थे, यह स्थापित किया कि मुद्दा आरोपी संख्या 4 से 8 मोहियुद्दीन पाशा के माध्यम से मज़ंबी @ प्यारेम्बी को जन्म दिए गए थे। हम इस विचार में हैं कि उच्च न्यायालय ने पहली अपीलीय अदालत द्वारा दर्ज निष्कर्षों में हस्तक्षेप सही रूप से किया, चूंकि पहली अपीलीय अदालत को मुख्य अदालत के उस संबंध में दर्ज निष्कर्षों को उलटने में सही तरीके से सत्यापन की आधार पर किए गए निष्कर्षों को उलट देना उचित नहीं था। हम इस विचार में हैं कि पहली अपीलीय अदालत ने साक्ष्य को सही दृष्टिकोण में मूल्यांकन करने में विफल रही थी। उच्च न्यायालय इसे उलटने में सही था।

29. इसी तरह, उच्च न्यायालय ने पाया कि मोहियुद्दीन पाशा की पहली पत्नी, स्वर्गीय नूरबी के पक्ष में मेहर प्रमाण पत्र नाममात्र का था और इस पर अमल नहीं किया गया था और मुख्य अदालत के निष्कर्षों को पहली अपीलीय अदालत द्वारा इस संबंध में उलट देना गलत था। ध्यान देना महत्वपूर्ण होगा कि मुख्य अदालत ने पूर्व विभाजन के मुकदमे, अर्थात ओ.एस. नं० 514/1961 की प्रक्रिया के आधार पर पाया कि उस विभाजन के मुकदमे में, स्वर्गीय मोहियुद्दीन पाशा मुद्दा आरोपी संख्या १ थे, जबकि यहाँ के अपीलकर्ता-मुद्दा आरोपी संख्या 1, मुद्दा आरोपी संख्या २ थे। उस मुकदमे में, उन्होंने इसे तर्क दिया था कि नूरबी और मोहियुद्दीन पाशा के पहले बेटे, अर्थात रहमान बारिद, संपत्तियों में अलग हिस्सा मांग रहे थे और अलग रह रहे थे। इसलिए, उन्होंने अपने संबंधित लिखित बयानों में तर्क दिया कि संपत्ति के आरोपी संख्या में किसी भी हिस्से से बचने के लिए, स्वर्गीय मोहियुद्दीन पाशा ने अपनी पहली पत्नी नूरबी के पक्ष में मेहर प्रमाण पत्र तैयार किया था।उच्च न्यायालय ने पाया कि जिस तरह ओ.एस. नं० 514/1961 में पहुंचे गए निष्कर्ष के मद्देनजर, जो मोहियुद्दीन पाशा और यहाँ के अपीलकर्ता-मुद्दा आरोपी संख्या १ के प्रवेश पर आधारित थे, अपीलकर्ता-मुद्दा आरोपी संख्या 1 के लिए यह फिर से तर्क करना संभव नहीं था कि संपत्तियाँ केवल नूरबी की थीं क्योंकि उन्हें उसे मेहर में दिया गया था। उच्च न्यायालय ने और भी पाया कि अपीलकर्ता-मुद्दा आरोपी संख्या 1 खुद ही ओ.एस. नं० 514/1961 के निर्णय को एक्स.डी-16 पर प्रस्तुत किया था और वह इसे वर्तमान विभाजन के मुकदमे का विरोध करने के लिए भरोसा करता था।

30. इस प्रकार स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि वर्तमान मामले में, पहली अपीलीय अदालत ने निचली अदालत द्वारा दर्ज की गई निष्कर्षों को पलट दिया था जो सही तरीके से साक्ष्य की मूल्यांकन पर आधारित थे। उच्च अदालत ने ध्वनिपूर्ण और तर्कसंगत कारण दिए

हैं कि पहली अपीलीय अदालत की निष्कर्षों में हस्तक्षेप क्यों आवश्यक था। हम भी देखते हैं कि पहली अपीलीय अदालत ने वह साक्ष्य नहीं लिया जिस पर निचली अदालत ने अपने निष्कर्ष दर्ज किए थे। पहली अपीलीय अदालत द्वारा दर्ज निष्कर्ष अनुमान और अटकलों पर आधारित हैं। इस प्रकार, हम इस निष्कर्ष पर हैं कि पहली अपीलीय अदालत का विपरीत दृष्टिकोण, निष्कर्ष पर पहुंचाने में, एक महत्वपूर्ण प्रश्न को उत्थान में लाने के लिए कारण बनेगा, जिससे उच्च अदालत को इसमें हस्तक्षेप करने की अनुमति मिलेगी।

31 . इस मामले के दृष्टिकोण में, हमें इस अपील में कोई योग्यता नहीं मिलती है। अतः, इस अपील को खारिज किया जाता है।

32. लागत के विषय में कोई आदेश नहीं। अगर कोई प्रलंबित आवेदन है, तो वह उपर्युक्त शर्तों में निपटा दिया जाएगा।

बिभूति भूषण बोस अपील खारिज किया जाता है।
। (सहायक: शुभांशु दास, LCRA)

1 (1983) 2 SCC 132

2 1984 (Supp) SCC 631

3 (2003) 3 SCC 552

4 (2010) 13 SCC 216

5 2019 SCC OnLine SC 1336

6 2021 SCC OnLine SC 694

रीना पाण्डेय द्वारा अनुवादित